

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
04/02/2025 15:46 hrs

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023 | 308(2) |
| 2 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
- 1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 28/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 31/01/2025
- Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** 12:00 hrs **Time To (समय तक):** 12:00 hrs
- (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/02/2025 **Time (समय):** 14:35 hrs
- (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/02/2025 14:45 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** कुजपुरा, करनाल,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** विकास शर्मा

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** कृष्ण शर्मा

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1982

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Present Address | गांव खराजपुर, KARNAL, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | गांव खराजपुर, KARNAL, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812989129

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | निरीक्षक राजीव | | | 1. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कुजपुरा, KARNAL,HARYANA,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, इसंपैक्टर एन्टी क्रप्शन ब्युरो, जिला करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं विकास शर्मा पुत्र कृष्ण शर्मा वासी खराजपुर करनाल का रहने वाला हुं मेरी पत्नी रजनी शर्मा के पास खराजपुर वा मेरे भाई विक्रम कुमार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा खण्ड कुजपुरा करनाल से राशन डिपो है व मेरे भाई विक्रम के पास गांव कुजपुरा का राशन डिपो है यह है कि खाद्य एवं आपूर्ति के निरीक्षक राजीव तथा अमन कुमार ए.एफ.एस.ओ. खादय एवं आपूर्ति विभाग खण्ड कुजपुरा जिला करनाल मे कार्यरत है जिनके आधीन खण्ड कुजपुरा के सभी डिपो आते है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा मेरे डिपो पर H.W.C गोदाम के माध्यम से खराब गैहू भेजा गया था जिसकी शिकायत मैंने खाद्य एवं आपूर्ति

विभाग के अधिकारियों को की जिसकी जांच के सम्बन्ध में मेरे डिपो पर ए.एफ.एस.ओ. अमन कुमार व इन्स्पेक्टर राजीव चैकिंग के लिए आए 28-01-2025 के तथा दिनांक 31-01-2025 को ए.एफ.एस.ओ. अमन कुमार ने मेरे को राजीव कुमार इन्सपेक्टर के फोन से बात करके करनाल बुलाकर मिलकर कहा था कि तुम्हारे डिपो पर जो खराब गैहू चला गया है वह उसका समाधान कर देगा जिसने मेरे को बोला की तुम्हारे को इस मामले में इन्सपेक्टर राजीव से मिलेगा वह तेरे को सब कुछ समझा देगा तुम उसके बुलाने पर मिल लेना और बात कर लेना जी मेरी पत्नी रजनी शर्मा व भाई विक्रम कुमार द्वारा राशन डिपो पर लगभग 570 क्विंटल गैहू व बाजरे का वितरण किया गया था तथा 28-01-2025 को विभाग के अमन कुमार ए.एफ.एस.ओ. व इन्सपेक्टर राजीव कुमार द्वारा मेरी पत्नी के डिपो के साथ अन्य डिपो भी चेंक किये गये थे कि जिस बारे मेरे को इन्सपेक्टर राजीव ने 31-01-2025 को नेवल गांव में मिलने के लिए बुलाया था जब मैं गांव नेवल में जाकर इन्सपेक्टर राजीव से मिला तो उसने मेरे को कहा कि तुम्हारा डिपो जो विभाग के उच्च अधिकारी के नाम भेजने पर चैक किया गया है अगर ए.एफ.एस.ओ. साहब द्वारा खराब रिपोर्ट या फिर कुछ और लिख दिया तो तुम्हारी सप्लाई बन्द हो जाएगी इन्सपेक्टर राजीव ने मेरे को कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिपो का काम ठीक चलता रहे इसके बदले में तुम्हें रिश्त के 10000 दस हजार मेरे को देने पड़ेंगे नहीं तो तेरी सप्लाई बन्द हो जाएगी उसने मेरे को अन्य डिपो वाले से जिनके डिपो चैक हुए थे उनसे भी रिश्त राशि 10000 प्रति डिपो एकत्रित करके देने बारे कहा था जिसकी मैंने इस बारे मना कर दिया था जिसके उस समय मेरे को राशन की सप्लाई बन्द करने का नजायज दबाव बनाकर 10000 रुपये की मांग की थी जिसको मैंने कहा की उसके पास अब 10000 रुपये नहीं है पांच से सात हजार रुपये ही खाते में पड़े हैं जिसके मजबूर करने पर मैंने वही पर ए.टी.एम. से 5000 रुपये निकालकर इन्सपेक्टर राजीव को दिये थे जिसने मेरे से पांच हजार रुपये लेकर कहा कि पांच हजार रुपये इनमें से बकाया रह गये हैं तथा तुम्हारी पत्नी व भाई के राशन डिपो पर जो लगभग 570 क्विंटल राशन का वितरण हुआ है उसका कमीशन रिश्त 12 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6840 रुपये बनता है तो तुम यह सारे पैसे लमसम 10000 रूपए कमीशन रिश्त जल्दी दे देना इन्सपेक्टर राजीव ने आज मेरे को 10000 रुपये रिश्त राशि लेकर बुलाया है जिसको मैं यह रिश्त राशि नहीं देना चाहता हूं उपरोक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं मैंने रिश्त/कमीशन मांगने बारे रिकार्डिंग की हुई है जो बाद में पेश कर दुंगा। Sd/- Vikash Sharma विकास शर्मा कृष्ण शर्मा गाव खराजपुर जिला करनाल - 132022 9812989129

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय साथ कर्मचारी उप. नि० निर्मल सिंह नं० 961/करनाल, स.उ.नि. जयदेव नं०, 5/706 मु.सि. बलिस्टर नं० 165/पानीपत, मुख्य सिपाही बलदेव सिंह नं० 624/अम्बाला, बा सवारी गाडी सरकारी नं० HR03GV 1916 जिसका चालक स.उ.नि. भूपेन्द्र नं० 2/99 HAP के नजदीक कलवेहडी रोड बाई पास कार सरकार मौजूद हूं कि विकास कुमार उपरोक्त ने बजरिया फोन सम्पर्क करके मुलाकी होकर हालात दरखास्त बतलाकर एक हस्त लिखित दरखास्त बर निरीक्षक राजीव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कुंजपुरा जिला करनाल मन निरीक्षक को पेश की और साथ में रिश्तवत में दी जाने वाली दस हजार रुपये 500/500 रुपये के करंसी नम्बरी नोट भी पेश किए जो हालात दरखास्त बारे उच्च अधिकारी से विचार विमर्श किया और रेड अनुमति प्राप्त की गई तथा रेडिंग प्रार्थी के साथ राजपत्रित गवाह व छाया गवाह नियुक्त करने का आग्रह किया जिस पर पुलिस अधिक्षक महोदय ने सुरेश कुमार सहायक पौधा सरक्षण अधिकारी निलोखेडी करनाल को नियुक्त किया व छाया गवाह राजपत्रित गवाह को खुद के स्तर पर लाने बारे आदेश जारी किये जो मन निरीक्षक द्वारा राजपत्रित गवाह से बजरिया फोन सम्पर्क करके छाया गवाह सहित मौका पर आने बारे आग्रह किया। मन निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई रिश्त राशि की सूची करंसी नोट तैयार की गई जो दरखास्त से अपराध जेर धारा 7 PC एक्ट 1988 व धारा 308(2) BNS का घटित होना पाया जाने पर तहरीर लिखकर बदस्त ASI जयदेव नं० 5/706 HAP के अरसाल थाना है तहरीर पर अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उच्च अधिकारियों व ईलाका मजिस्ट्रेट की सेवा में भिजवाई जावे तथा असल तहरीर मिशल मन निरीक्षक के पास मौका पर भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय रेडिंग प्रार्थी दर इन्तजार राजपत्रित गवाह व छाया गवाह का होता हूं अनुसंधान किट, लेपटाप, प्रिन्टर हमरा है। Sd/- Deepak Kumar निरीक्षक (दीपक कुमार) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल दि० 04-02-2025 At 1:10 PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी मुकदमा न० 03 दिनांक 04.02.2025 धारा 7 PC Act 1988 व 308(2) BNS थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिमा तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा ASI जयदेव 5/706 के हवाले की जाकर रवाना

निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से उप निरीक्षक नफे सिंह न0 26/पानीपत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): DEEPAK Rank (पद): I (Inspector) KUMAR**
No. (सं.): 875 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**
- (4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**
- Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): AMIT KUMAR
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No. (सं.): ACP
15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|--------------------|------------|---|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1976 | | | | |
| Is pox pitted: Yes | | | | | | |

| Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit (s) (पहनावा) |
|---|--------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)